12– **सहायिक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं**

- ✓ मा0 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षाकोष के अन्तर्गत गठित– उ0प्र0 आरोग्य निधि समिति के कोष में रुपये–पांच करोड़ मात्र का अंशदान राज्य सरकार द्वारा तथा रुपये–पांच करोड़ मात्र भारत सरकार से अभी प्राप्त किया जाना है, जिस हेतु पत्राचार किया जा चुका है। अभी किसी को फायदा कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार का अंश प्राप्त नहीं हुआ है।
- ✓ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में दो जनपदों क्रमशः लखनऊ एवं कानपुर(नगर) में पाइलेट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि में से प्रत्येक को रु0674000/–प्रदान कर दी गयी है तथा रु0376000/–राज्य स्तर पर विभिन्न मदों हेतु उपलब्ध है।
- ✓ केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा निष्पादित औषधियों/उपकरणों के क्रय का लाभ सीधे जनता को प्रदेश के चिकित्सालयों के माध्यम से प्राप्त होता है। जहां कि औषधियॉ/उपकरण भेजे जाते हैं।
- ✓ परिधिगत अधिकारियो के स्तर पर आवंटन की जाने वाली धनराषि के माध्यम से प्रदेष की जनता को वेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने, अस्पताल सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 के संचालन एवं नये चिकित्सालयो का निर्माण तथा खाद्य पदार्थ एवं औाधि मे मिलावट की रोकथाम तथा संक्रामक रोगो की रोकथाम हेतु छिडकाव आदि के कार्य कराये जाते है।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तगर्त वर्ष 2005–06 में जननी सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

लक्ष्य :–

योजना का लक्ष्य महिलाओं को गर्भावस्था पंजीकरण, सुरक्षित प्रसव, प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करने के साथ ही प्रसव के समय/पश्चात धनराशि प्रदान करना ताकि वे उस धनराशि का उपयोग प्रसव से संबंधित विविध आवश्यकताओं के लिए कर सकें, सुरक्षित मातृत्व की परिकल्पना को साकार करना है। ग्रामीण क्षेत्र की वे महिलाएं जो प्रसव के लिए चिकित्सालय जाना चाहती है, किन्तु धनाभाव के कारण वाहन की व्यवस्था व व्यय करने में असमर्थ है, उनको चिकित्सालय तक ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, चिकित्सालय में उनके साथ रहने व भोजन आदि की व्यवस्था करना– महिलाओं के क्षेत्र से ही चयनित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती **''आशा''** के द्वारा ये सेवायें प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था के लिए भी योजना में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को निम्न मानक के अनुसार धनराशि दी जाती है–

1. ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई यथा उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई

में प्रसव कराने पर ग्रामीण संस्थागत प्रसव के लिए रू0 1400/–की सहायता धनराशि दी जाती है।

उपरोक्त लाभार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर चिकिसालय ले जाने के लिए आशा द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है जिसके लिए रू0 250/–तक की धनराशि व्यय की जा सकती है। लाभार्थी महिला के साथ चिकित्सालय में रहने व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए रू0 150/– तक की धनराशि का प्राविधान है। लाभार्थी महिला को प्रसव पूर्व पंजीकरण, गर्भावस्था जॉच, सुरक्षित प्रसव/संस्थागत प्रसव हेतु सेवाएं एवं नवजात शिशु का बी0सी0जी0 टीकाकरण कराने पर ''आशा'' को रू0 200/– की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।

2. शहरी इकाईयों/जनपद/राज्य स्तरीय चिकित्सालयों के जनरल वार्ड में प्रसव कराने वाली महिलाओं को रू0 1000/–की धनराशि दी जाती है। आशा द्वारा इन महिलाओं को समस्त सेवाएं प्रदान करने पर रू0 200/– प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है।
3. घरेलू प्रसव कराने पर वे महिलाएं जिनकी आयु 19 वर्ष या अधिक है, दो जीवित बच्चों के जन्म तक बी0पी0एल0 कार्ड प्रस्तुत करने पर रू0 500/– की धनराशि दी जाती है।
4. प्रदेश के समस्त जनपदों में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही है।

जननी सुरक्षा योजना तथा सौभाग्यवती सुरक्षित मातृत्व योजना का तुलनात्मक विवरण

जननी सुरक्षा योजना	सौभाग्यवती सुरक्षित मातृत्व योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवस्था में दी जाने वाली सेवायें, प्रसव के समय दी जाने वाली सेवायें तथा प्रसवोपरान्त महिला तथा उसके नवजात शिशु की देखभाल आदि समस्त सेवाओं का एकीकरण कर लिया गया है एवं यह सेवायें उस महिला के क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री द्वारा अथवा उसकी सहायता से उपलब्ध करायी जा रही है। 1. ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई यथा उपकेन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई में प्रसव कराने पर ग्रामीण संस्थागत प्रसव के लिए रू0 1400/–की सहायता धनराशि दी जाती है। उपरोक्त लाभार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर चिकिसालय ले जाने के लिए आशा द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है जिसके लिए रू0 250/–तक की धनराशि व्यय की जा सकती है। लाभार्थी महिला के साथ चिकित्सालय में रहने व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए रू0 150/– तक की धनराशि का प्राविधान है। लाभार्थी महिला को प्रसव पूर्व पंजीकरण, गर्भावस्था जॉच, सुरक्षित प्रसव/संस्थागत प्रसव हेतु सेवाएं एवं नवजात शिशु का बी0सी0जी0 टीकाकरण कराने पर ''आशा'' को रू0 200/– की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में सभी प्रकार के प्रसवों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सौभाग्यवती'' सुरक्षित मातृत्व योजना 13 मई 2008 से लागू हो गई है। यह योजना पूर्णरूपेण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से वित्त पोषित है। लाभाथी मान्यता प्राप्त किसी भी निजी नर्सिंग होम/ चिकित्सालय से सेवायें प्राप्त कर सकता है। योजना के अन्तर्गत संबंधित नर्सिंग होम/ चिकित्सालय में निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी– 1. सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण जिसमें खून की जॉच भी सम्मिलित होगी। अत्यन्त आवश्यक होने पर सोनोग्राफी की सुविधा लेकिन यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह जॉच पी0एन0डी0टी0 अनिधनियम के प्राविधानों के अनुरूप होगी। 2. प्रसव की सुविधा जिसमें सामान्य/ सहायतित/सिजेरियन प्रसव सम्मिलित होंगे। 3. सामान्य प्रसव की दशा में कम से कम 24 घण्टे व अन्य प्रसवों की दशा में 3 से 5 दिन अस्पताल प्रवास जिसके दौरान भोजन आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 4. नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल। 5. प्रसव के उपरान्त किसी समस्या के आने पर परामर्श।

2. शहरी इकाईयों/जनपद/राज्य स्तरीय चिकित्सालयों के जनरल वार्ड में प्रसव कराने वाली महिलाओं को रू0 1000/– की धनराशि दी जाती है। आशा द्वारा इन महिलाओं को समस्त सेवाएं प्रदान करने पर रू0 200/– प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है। 3. घरेलू प्रसव कराने पर वे महिलाएं जिनकी आयु 19 वर्ष या अधिक है, दो जीवित बच्चों के जन्म तक बी0पी0एल0 कार्ड प्रस्तुत करने पर रू0 500/– की धनराशि दी जाती है।	6. प्रसव के दौरान आवश्यक समस्त दवायें एवं कन्ज्यूमेबिल्स। 7. वैकल्पिक सेवा– लाभार्थी की स्वेच्छानुसार नसबन्दी कराया जाना। इन समस्त सुविधायें प्रदान करने के लिए नर्सिंग होम/चिकित्सालय को योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान किया जायेगा। लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सहायता (ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400/– एवं शहरी क्षेत्र में रू0 1000/–) पूर्ववत मिलेगी।